

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-8654, दिनांक-24/10/2019 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से 17 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/1/2020-E-II(B) दिनांक-20/07/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है

कि-

- (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/07/2021 से भुगतेय है और बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह **सितम्बर, 2021** के वेतन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह **अक्टूबर, 2021**

में एवं माह अगस्त, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2021 में किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-----/वि० पटना, दिनांक:-----
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-----/वि० पटना, दिनांक:-----
प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-----/वि० पटना, दिनांक:-----
प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मंहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये।

ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-5421/वि०

पटना, दिनांक: 19-08-2021

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

19/8/2021